न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 568/18–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

असियन भेंगरा – विक्रेता

1. समुएल तिड़ू वो 2. मलाकी तोपनो – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
16.09.19	**आदेश** आवेदक असियन भेंगरा पिता स्व0 आनन्द मसीह भेंगरा ग्राम–बेथेल नगर, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने 1. समुएल तिड़ू पिता स्व0 थोमस तिड़ू ग्राम–सुन्दारी बिशुनपुर थाना तोरपा जिला खूँटी वो 2. मलाकी तोपनो पिता श्री जोन तोपनो ग्राम–जमटोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के दान हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है। ग्राम: पण्डरिया; थाना नं0: 40; खाता नं0: 07; खेसरा सं0: 65; रकबा (एकड में): 0.29	

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)
पण्डरिया	40	07	65	0.29

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 14863815 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 805 दिनांक 04.09.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम जरका मुण्डा वगैराह है। पंजी II के अनुसार आनन्द मसीह मुण्डा वगैराह के नाम भूमि का रकवा 24.43 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 4.13 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 2363.00(दो हजार तीन सौ तिरीसठ) रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के दान में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि दान के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 3.84 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एंव एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु दान करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण असियन भेंगरा पिता स्व0 आनन्द मसीह भेंगरा को 1. समुएल तिड़ू पिता स्व0 थोमस तिड़ू वो 2. मलाकी तोपनो पिता श्री जोन तोपनो के साथ ग्राम पण्डरिया के खाता सं0 07 खेसरा संख्या 65 कुल रकबा 0.29 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 2363.00(दो हजार तीन सौ तिरीसठ) रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि दान की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

16/09/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

16/09/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।